



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा
(छत्तीसगढ़)

—:0 आदेश 0:—

क्रमांक / 844 / सां.लि. / COVID-19 / 2021

दन्तेवाड़ा दिनांक 05/05/2021

कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 698/सां.लि./COVID-19/2021 दिनांक 16.04.2021 सहपठित आदेश क्रमांक 126/सां.लि./COVID-19/2021 दिनांक 17.04.2021, आदेश क्र./132/सां.लि./COVID-19/2021 दिनांक 25.04.2021 के माध्यम से दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 06.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं ।

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या चिन्ता का विषय है । दक्षिण भारत के राज्य आन्ध्रप्रदेश में कोरोना के नये घातक वेरियन्ट/स्ट्रेन के पता लगने के कारण कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना एवं पूर्व में समय-समय पर जारी प्रतिबंधों में छूट दिया जाना भी आवश्यक हो गया है । मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है, तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है । जिससे सम्पूर्ण दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है ।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 698/सां.लि./COVID-19/2021 दिनांक 16.04.2021 सहपठित आदेश क्रमांक 126/सां.लि./COVID-19/2021 दिनांक 17.04.2021 एवं आदेश क्र./132/सां.लि./COVID-19/2021 दिनांक 25.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, दीपक सोनी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :-

1. दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 16.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा ।
2. दिनांक 16.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी ।
3. उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकाने, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे ।
4. जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानें टोकन की व्यवस्था कर खोली जाए । टोकन सिस्टम के द्वारा एक ही दिन में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके । दुकानदार द्वारा 50 से 80 के बीच प्रतिदिन के लिए टोकन जारी किया जाये एवं हितग्राहियों /लाभार्थियों को राशन वितरण किया जाये । खाद्य विभाग उपरोक्तानुसार खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।


Collector
Dakshin Bastar
DANTEWADA (C.G.)

5. सभी प्रकार की मंडियां/बाजार तथा थोक दुकानें आम नागरिकों के लिए बंद रहेगी ।
6. केवल पारा/मोहल्ले में स्थित किराना दुकाने, आटा चक्की, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली, दुकान संचालक होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे । माल एवं सुपर मार्केट पूर्ववत् बंद रहेंगे । आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक दी जाती है ।
7. दूध, डेयरी और डेयरी उत्पाद की दुकानों को प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से 07.00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी ।
8. बीज/उर्वरक/किटनाशक/कृषि यंत्रों एवं मरम्मत की दुकानें एवं गोदाम प्रातः 09.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी । दुकान संचालक होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे ।
9. फल, सब्जी प्रातः 09.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिक-अप/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी । इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फिलपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु शॉप/स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे । उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट्स, बेकरी एवं मिठाई की दुकानों से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन एवं स्वयं के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है । किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी । इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाँच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा ।

उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में/होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/ अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/ किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।

10. पेट्रोल पंप को 24 घंटे खोलने की अनुमति रहेगी ।
11. गैस एजेन्सियों को उनके निर्धारित समय पर खोले जाने की अनुमति रहेगी । गैस एजेन्सियां होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे ।
12. अत्यावश्यक परिवहन से संबंधित वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप/ऑटो पार्ट्स/गैरेज /टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा/रेस्टोरेन्ट (केवल टेकअवे) हेतु तथा नगरीय क्षेत्र के भीतर शासकीय कार्यों एवं आवश्यक सामग्रियों के विक्रय की दुकानें (यथा अंतिम संस्कार के कार्यों से संबंधित दुकानें) सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेगी ।
13. न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक एवं संध्या 05.30 बजे से संध्या 08.00 बजे तक ही होगी ।

- 14 पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 09.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
- 15 इलेक्ट्रिशियन/प्लंबर, एएसी, कूलर एवं सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं/मरम्मत के लिए दुकानें प्रातः 09.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक खोले जा सकेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि एसी, पंखे, कूलर की दुकानें विक्रय के लिए नहीं खोली जा सकेगी, परन्तु होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
- 16 औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पूर्वानुमति से उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। किन्तु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोनिवि, लो.स्वा.यां., वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यात्रिकी सेवा द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इन कार्यो में कार्यरत मजदूर कार्य स्थल में रहकर कार्य संपादित करेंगे।
- 17 सभी बाजार, होटल एवं रेस्टोरेंट (होम डिलीवरी को छोड़कर) मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्वीमिंग पुल, सुपरमार्केट, कोचिंग क्लासेस, स्कूल एवं कॉलेज (स्कूल विद्यार्थियों के लिए) पान एवं सिगरेट ठेला, शराब दुकानें, सेलून, पार्क, चलित भोजनालय, ठेला, जीम, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। विवाह कार्यक्रम, अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी संस्कारों के लिए संबंधित तहसीलदार से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- 18 पूर्व से ही विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी।
- 19 उपरोक्त अवधि में दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/अर्द्ध-शासकीय/सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, पोस्टल सेवाएं, रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयर हाउस गोदाम खोले जाने की अनुमति होगी। अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी आपात स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी।

बैंकों/पोस्ट आफिसों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अवधि के दौरान को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए 50 प्रतिशत बैंक कर्मियों की उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु सभी बैंक-शाखाएँ प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक संचालित होगी। बैंक केवल व्यापारिक एवं व्यावसायिक लेनदेन, एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसीन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिविड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों के विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।


Collector
Dakshin Bastar
DANTEWADA (C.G.)

- 20 उपरोक्त आदेश में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय लॉक डाउन अवधि में बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा। समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे।
- 21 आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
- 22 अपरिहार्य परिस्थितियों में दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/पोस्टल/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों/चिकित्सकों/निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों/चिन्हांकित वालेन्टियर्स की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप मान्य किया जायेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित एस.डी.एम. द्वारा भी पास जारी किये जायेंगे। बस्तर संभाग के पड़ोसी राज्य में कोविड के नये स्ट्रेन आने के कारण रेल/बस/हवाई यात्रा के माध्यम से जिले में आने वाले यात्रियों का कोविड-19 जांच अनिवार्य होगा।
- 23 कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। टीकाकरण के विरुद्ध अपवाह फैलाने एवं कोरोना जांच में सहयोग नहीं करने वाले यात्रियों/व्यक्तियों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
- 24 कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
- 25 मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 26 यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। स्पष्ट किया जाता है कि रजिस्ट्री कार्यालय को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति एवं टोकन प्रणाली के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।


Collector
Dakshin Bastar
DANTEWADA (C.O.)

- 27 राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
- 28 कोरोना से बचाव की शर्तों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के संचालन की अनुमति रहेगी। वन विभाग द्वारा संचालित कार्यों में संलग्न श्रमिकों को कार्य की अनुमति होगी।
- 29 जरूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचाने हेतु इच्छुक संस्थाओं/व्यक्तियों को कोरोना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशों के तहत एक समय में अधिकतम 4 व्यक्तियों को सीमित समय तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामग्री वितरण की अनुमति होगी।
- 30 उपरोक्त अवधि में केवल अस्पताल, क्लिनिक, दवा की दुकानें, पशुचारा से संबंधित दुकानें, पेट्रोल पंप एवं होम डिलीवरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेगी।
- 31 उपरोक्त आदेश में परिस्थितियों को आकलन कर समय विस्तार एवं संशोधन किया जा सकेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 06.05.2021 प्रातः 06.00 बजे से लागू होगा।



पु.क./845/सां.लि./COVID-19/2021
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
5. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।



कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

दन्तेवाड़ा दिनांक 05/05/2021

6. कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
11. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) दन्तेवाड़ा/किरन्दुल की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. सर्व विभाग /कार्यालय प्रमुख, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।
13. महाप्रबंधक, एन.एम.डी.सी. बचेली/ किरन्दुल
14. जिला प्रबंधक, अग्रणी बैंक, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दन्तेवाड़ा ।
16. सहायक संचालक, जनसंपर्क, दन्तेवाड़ा की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
17. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
18. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
19. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद /नगर पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
20. सर्व थाना प्रभारी, पुलिस थाना जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
21. नोडल अधिकारी, कण्ट्रोल रूम (07856-252412) जिला कार्यालय, दन्तेवाड़ा ।



कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा